

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 6825  
पार्श्वी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 20-12-24

1 दानाराम 2 अणदाराम 3  
फुसराम पिसरान जेहाराम 4  
परमान पुत्र नन्दराम 5 गौरी  
पत्नी नन्दराम जाति जाट  
निवासी धने का तला  
(शिवकर) तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 हेराजराम 2 देराजराम 3 सुरताराम 4 रुपाराम पिसरान  
प्रहलादाराम 5 जुंजाराम 6 वीरमाराम 7 गोसाईराम पिसरान  
पुनमाराम 8 लाछी पत्नी पुनमाराम जाति जाट निवासी धने  
का तला (शिवकर) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 555/2024

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धने का तला पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला  
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1148/1030 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए  
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग  
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण  
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 20-12-24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 6825-28

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण दानाराम पुत्र जेहाराम जाति जाट निवासी धने का तला (शिवकर) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हेराजराम पुत्र प्रहलादाराम वगैराह निवासी जाति जाट निवासी धने का तला (शिवकर) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर